

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2018/फाल्गुन 24, 1939 No. 141] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2018/PHALGUNA 24, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2018

सा.का.िन. 231(अ).—केन्द्रीय सरकार, गैस सिलेंडर नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का प्रारूप विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीित और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 09(अ), तारीख 04.01.2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 4 जनवरी, 2018 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख, जिसको अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, से तीस दिन की समाप्ति से पहले आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना जनता को 4 जनवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यकत: विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गैस सिलेण्डर नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गैस सिलेण्डर (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 है ।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. गैस सिलेण्डर नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 48 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "(3) उप-नियम (1) के अधीन "अनापत्ति प्रमाणपत्र" की अपेक्षा निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्ररूप 'च' में अनुज्ञप्ति के लिए लागू नहीं होगी,-

1499 GI/2018 (1)

- (क) ज्वलनशील या विषैली या संक्षारक गैसों के भंडारण के लिए, जो भरण संयंत्र का भाग है ; और
- (ख) सिलेण्डरों में द्रवित पेट्रोलियम गैस के भंडारण के लिए बशर्ते "अनापत्ति प्रमाणपत्र" स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत या सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकाय से अभिप्राप्त किया जाएगा।"
- 3. उक्त नियम के नियम 57 में, खंड 4 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "(5) इन नियमों के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति या अनुमोदन रद्द हो जाएगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त साइट या अनुमोदित परिसर का कोई अधिकार नहीं रखता है ।"
- 4. उक्त नियमों के प्ररूप 'ग' में, प्ररूप 'इ', प्ररूप 'च' और प्ररूप 'छ' में अनुज्ञप्ति के लिए इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज, शीर्ष के अधीन :-
- (क) मद (iv) में "पट्टा करार" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ख) मद (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:--
- "(vi) संपीडित प्राकृतिक गैस या संपीडित बायो गैस ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में वितरित करने के लिए प्ररूप 'छ' में अनुज्ञप्ति या बिक्री या व्यापार के प्रयोजन के लिए ज्वलनशील गैसों या विषाक्त गैसों या संक्षारक गैसों के भंडारण के लिए प्ररूप 'च' में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की दशा में नियम 48 के अधीन, जिला प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र ;

परंतु ज्वलनशील गैसों या विषाक्त गैसों या संक्षारक गैसों के भंडारण के लिए, जो भरण संयंत्र का भाग है, प्ररूप 'च' में अनुज्ञप्ति या सिलैन्डरों में द्रवित पेट्रोलियम गैस के भंडारण के लिए प्ररूप 'च' में अनुज्ञप्ति के लिए जिला प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र की अपेक्षा, लागू नहीं होगी।

परंतु यह और कि सिलेण्डरों में द्रवित पेट्रोलियम गैस के भंडारण के लिए, प्ररूप 'च' में अनुज्ञप्ति के लिए, स्थानीय निकाय, जैसे ग्राम पंचायत या सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" अपेक्षित होगा ।"

5. उक्त नियम के प्ररूप 6 की शर्त 1 की उप-शर्त (ख) में "अनुज्ञप्ति की शर्त 6 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप 'छ' में अनुज्ञप्ति की शर्त 7 की सारणी 2" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 17(20)/2017-विस्फोटक]

शैलेन्द्र सिंह, अपर सचिव

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.िन. 1081(अ), तारीख 22 नवंबर, 2016 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.िन. 189(अ), तारीख 27 फरवरी, 2018 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2018

G.S.R. 231(E).—WHEREAS the draft of certain rules further to amend the Gas Cylinders Rules, 2016 was published as required by section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th January 2018 vide Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy & Promotion), number, GSR 09(E), dated 4th January, 2018

inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the notification was made available to the public;

AND WHEREAS, the said notification was made available to the public on the 4th January, 2018.

AND WHEREAS, objections and suggestions received from the public on the said draft have been duly considered by the Central Government;

NOW WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gas Cylinders Rules, 2016, namely:-

- Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Gas Cylinders (Second amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Gas Cylinders Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 48, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-
 - "(3) The requirement of the "No Objection Certificate" under sub-rule (1) shall not be applicable for a license in form "F", -
 - (a) for storage of flammable or toxic or corrosive gases forming part of cylinder filling plant; and
 - (b) for storage of Liquefied Petroleum Gas in cylinders, provided "No Objection Certificate" shall be obtained from the local body such as Gram Panchayat or the urban local body concerned."
- 3. In the said rules, in the rule 57, after clause (4), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(5) Every licence or approval granted under these rules shall stand cancelled, if the licensee ceases to have any right to the site of the licensed or approved premises."
- 4. In the said rules, in form 'C', under the heading DOCUMENTS REQUIRED TO BE SUBMITTED WITH THIS APPLICATION FOR A LICENCE IN FORM 'E', 'F' and 'G':-
 - (a) in item (iv), the words "lease agreement" shall be omitted;
 - (b) for item (vi), the following item shall be substituted, namely :-
 - "(vi) No Objection Certificate from the District Authority under rule 48 in the case of application for a licence in Form "G" to dispense Compressed Natural gas or Compressed Bio Gas as automotive fuel or a Licence in Form "F" to store flammable or Toxic or corrosive gases for the purpose of sale or trading;

Provided that the requirement of No Objection Certificate from the District Authority shall not be applicable for a licence in form "F" for storage of flammable or toxic or corrosive gases forming part of cylinder filling plant or licence in form "F" for storage of Liquefied Petroleum Gas in cylinders:

Provided further that for a licence in form 'F' for storage of Liquefied Petroleum Gas in cylinders, "No objection Certificate" shall be required from the local body such as Gram Panchayat or the Urban local Body concerned."

5. In the said rules, in Form "G", in condition 1, in sub-condition (b), for the words and figure "in condition 6 of the licence", the words and figures, "Table II of condition 7 of the licence in Form G" shall be substituted.

[F. No. 17(20)/2017-Expl.]

SHAILENDRA SINGH, Addl. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification G.S.R. 1081(E), dated the 22nd November, 2016 and subsequently amended vide G.S.R 189(E), dated the 27th February, 2018.